Shabd Braham
International Research Journal of Indian languages
ISSN 2320 – 0871
17 March 2014

भारतीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन: समस्याएँ एवं निवारण

*डॉ.अश्विनीकुमार शर्मा, **डॉ.आशीष पाठक
*प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग,
**प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग,
श्री अटल बिहारी वाजपेयी, शास. कला एवं वाणिज्य महा., इन्दौर, म.प्र.

शोध संक्षेप

अंग्रेजी दासता से मुक्त हुए हमारे देश को महज 67 वर्ष ही बीते हैं। एक राष्ट्र की स्वतंत्रता के हिसाब से 67 वर्ष कुछ मायने नहीं रखते परंतु यदि किसी प्रणाली, जीवन शैली या पद्धति को जांचना-परखना हो तो यह अवधि बहुत होती है। 67 वर्षों में किसी भी प्रणाली की सफलता-विफलता का मूल्यांकन कर निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को चुना। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी बना परंतु यह बड़े दुःख की बात है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी भारत का लोकतंत्र पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया है। आज भी हम अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली की कई खामियों को खत्म नहीं कर पाएं हैं। कभी हम अपने लोकतंत्र की कमियों की तरफ ध्यान नहीं देते, कभी उसकी बुराईयों को नजरअंदाज करते हैं और कभी कई तर्क-कुतर्क देकर उसकी कमियों को ढांकने की कोशिश करते हैं।

भारतीय लोकतंत्र

प्रायः यह माना जाता है कि यदि विश्व में कोई ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें मनुष्य सर्वाधिक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकता है तो वह लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसके कई आधार स्तंभ हैं। लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में साक्षरता की विवेचना की जा सकती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता 70 प्रतिशत है।1 भारत में साक्षरता मापने का पैमाना यह है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना नाम लिखना आ जाता है तो वह साक्षर कहलाता है। अतः यह आसानी से समझा जा सकता है कि 70 प्रतिशत साक्षरता का शासकीय आंकड़ा महज एक दिखावा है। भारतीय साक्षर आदमी को वोट देने के लिए चुनाव चिह्न की जरूरत होती है और अपनी पसंद के चुनाव चिन्ह को दर्शाने के लिए पूर्व में मोहर एवं वर्तमान में बटन दबाने की आवश्यकता होती है। जबकि होना यह चाहिए कि जो साक्षर व्यक्ति

Shabd Braham
ISSN 2320 – 0871
International Research Journal of Indian languages
17 March 2014

वोट डालना चाहता है, उसे उन व्यक्तियों के नाम पढ़ना आना चाहिए जो चुनाव में खड़े हुए हैं तथा वह उस व्यक्ति का नाम लिख सके जिसे वह वोट देना चाहता है। यही नहीं साक्षरता के इस प्रतिशत में से राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों का प्रतिशत तो और भी कम है।

लोकतंत्र का एक अन्य आधार स्तंभ आर्थिक समानता माना जा सकता है। यदि हम यह कहें कि आर्थिक समानता की स्थिति भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य में अत्यन्त भयावह है जो यह कथन अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत में एक ओर तो अंबानी, वाडिया, अडानी, टाटा, बजाज आदि जैसे कई बड़े उद्योगपति हैं तो वहीं दूसरी ओर एक मामूली ठेला चलाने वाला है जिसे यह भी मालूम नहीं होता है कि उसे शाम का भोजन नसीब होगा कि नहीं। भारतीय राजनीतिक दल गरीबी हटाओ, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना, आर्थिक समानता, सबको रोजगार आदि नारे देकर चुनाव तो लड़ लेते हैं और वोट भी हासिल कर लेते हैं परंतु उपर्युक्त नारों को व्यावहारिक रूप देने का तनिक भी प्रयास नहीं करते।

सच्चे एवं ईमानदार नेता लोकतंत्र का आधार हैं। यह तत्व भी भारत से लगभग नदारद ही है। यहां कोल, वैस्टलैंड, 2जी, 3जी, सीडब्ल्यूजी, बोफोर्स, प्रतिभूति आदि जैसे घोटाले एक आम बात हो गई है। भारतीय जनमानस के मन में यह बात गहरे पैठ चुकी है कि नेता ईमानदार हो ही नहीं सकता। भारत में वर्तमान समय में राजनीति भी एक तरह का व्यवसाय बन गई है। भारतीय नेता भ्रष्टाचार को मुद्दा सिर्फ चुनाव जीतने और सत्ता में आने के लिये बनाते हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नहीं। एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसके किसी बड़े नेता के खिलाफ अदालत में भ्रष्टाचार का मामला लंबित न हो।

भारत में निर्वाचन

भारतीय लोकतंत्र की असफलता का एक अन्य कारण है इसकी चुनाव प्रणाली में गंभीर दोष का होना। भारत में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था नहीं है। अतः सामान्यतः 50 प्रतिशत मतदाता ही मतदान में भाग लेते हैं। शेष बचे आधे मतदाता या तो मतदान कर नहीं पाते या फिर करना नहीं चाहते। यही नहीं सिर्फ 50 प्रतिशत हुए मतदान में से भी जो राजनीतिक दल 30, 40 या 45 वोट पा लेते हैं वह सत्ता में आ जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। दूसरे शब्दों में भारत की सरकार महज एक चौथाई मतदाता के सहारे सत्ता में आती है और शासन चलाती है। उदाहरणार्थ 1952 में हुए देश के प्रथम आम चुनाव में सिर्फ 45.67 प्रतिशत ही मतदान हुआ और 54.33 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। उपर्युक्त मतदान में से भी कांग्रेस ने सिर्फ 44.99 प्रतिशत ही मत प्राप्त किये, परंतु 74.44 प्रतिशत सीटों पर कब्जा जमा लिया था।2 अर्थात कुल 489 सदस्यों वाले सदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 364 सदस्य थे।3 हाल ही में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाली लोकसभा यानी 15वीं लोकसभा के चुनाव में भी कुल मतदान का प्रतिशत 59.7 ही रहा। जिसमें से कांग्रेसनीत यूपीए गठबंधन ने सिर्फ 37.22 प्रतिशत मत प्राप्त किये और सर्वाधिक 262 सीटें प्राप्त कर अपनी सरकार का गठन कर लिया। दूसरे शब्दों में यूपीए ने कुल

डाले जा सकने वाले मतों में से सिर्फ 22.22 प्रतिशत वोट प्राप्त किये। हम यह भी कह सकते हैं कि 15वीं लोकसभा की सरकार को सिर्फ 22.22 प्रतिशत वोटरों का ही समर्थन प्राप्त था।

भारतीय चुनाव प्रणाली तब और भी हास्यास्पद हो जाती है जब दो भिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त मतों और उनके द्वारा प्राप्त सीटों की तुलना की जाती है। उदाहरण के लिये 1984 की 8वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल 7.40 प्रतिशत मत प्राप्त हुए परंतु लोकसभा में उसे सिर्फ 2 ही सीटें प्राप्त हुई।4 जबकि इसके विपरीत अन्नाद्रमुक को महज 1.72 प्रतिशत मत प्राप्त हुए और उसने लोकसभा में 12 सीटें प्राप्त कर ली।5 चुनाव प्रणाली की यह विसंगति पहले आम चुनाव से ही चली आ रही है और आज भी विद्यमान है। 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कुल 6.17 प्रतिशत मत प्राप्त हुए और उसने लोकसभा में कुल 21 सीटें प्राप्त की। जबकि समाजवादी पार्टी ने महज 3.4 प्रतिशत मत प्राप्त करते हुए कुल जमा 23 सीटें हासिल कर ली।

निष्कर्ष

अतः यह स्पष्ट है कि कुछ लोकतंत्र के आधार स्तम्भों की अविद्यमानता, कुछ चुनाव प्रणाली के दोष और कुछ भारतीय जनता की मानसिकता के कारण भारत में लोकतंत्र अपेक्षाकृत अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। भारत में लगभग प्रत्येक चुनाव किसी न किसी लहर से ग्रस्त रहे हैं। कांग्रेस लहर, इंदिरा लहर, जनता लहर, राजीव लहर, रामनामी लहर या फिर परिवर्तन की लहर प्रत्येक चुनाव में कोई न कोई लहर अवश्य विद्यमान रहती है।

भारतीय लोकतंत्र की इन खामियों को दूर करने के लिये कई सुझाव दिये जा सकते हैं। भारत में यदि आजादी के समय से ही अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी जाती तो शायद आज प्रत्येक मतदाता अपने पसंद के प्रत्याशी का नाम लिखकर उसे चुनाव में विजय बनाता। शिक्षा नहीं तो मतदान नहीं जैसी योजनाएँ लाकर भी एक निश्चित समय सीमा में सम्पूर्ण देश को शिक्षित करने का जिम्मा भी हमारे राजनीतिक दलों पर यह कहकर डाल सकता था कि ''जनता को अपनी पार्टी के प्रत्याशी का नाम लिखना सिखाईये और चुनाव जीत जाईये।'' इस प्रणाली से बूथ लूटने जैसी घटनाओं पर स्वमेव ही काबू पाया जा सकता था। अनिवार्य शिक्षा के समान ही अनिवार्य मतदान के द्वारा भी स्थिति को परिवर्तित किया जा सकता है। मतदान न करने वाले को मतदान की सुविधा प्रदान करना और मतदान न करना चाहने वाले को मतदान के लिये बाध्य करना हमारे लोकतंत्र की आवश्यकता बन गई है।

एक अन्य सुझाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आवश्यक सुधार करके भी किया जा सकता है। इनमे से कोइ नहीं का विकल्प हाल ही में शामिल किया गया है। यदि इसे आधे से अधिक मतदाता पसंद करें तो सभी पार्टी को अपने प्रत्याशी बदलने को कहा जाए। इस स्थिति में शर्म से बचने के लिये सभी प्रमुख राजनीतिक दल प्रारंभ से ही सही प्रत्याशी के चयन पर ध्यान देंगे। ''नोटा'' नामक बटन ईवीएम मशीन

में बनाकर चुनाव आयोग ने सुधार की शुरूआत तो की है किन्तु उसे गणना में न लेकर औचित्यहीन बना दिया गया है।

इसके अतिरिक्त सूची प्रणाली को अपनाना, मतदाताओं को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना, मतदाताओं को किसी भी हाल में मतदान करने के लिये प्रोत्साहित करना, राजनीतिक दलों को विचारधाराओं पर आधारित बनाना, भ्रष्टचारियों, अपराधियों के विरूद्ध कारगर कानून बनाकर उन्हें चुनाव में भाग लेने से रोकना, राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी के बैंक खातों को आनलाईन करना आदि कई ऐसे कदम हैं जिससे भारतीय लोकतंत्र की कमियों को दूर किया जा सकता है। अतः इस समय जरूरत इस बात की भी है कि भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तम्भों को मजबूत बनाया जाए जिससे भारत में सही अर्थों में लोकतंत्र स्थापित किया जा सके।

संदर्भ सूची

1. censusindia.gov.in

2 भारत में निर्वाचन - समस्याएँ एवं सुधार, पृष्ठ 36, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा प्रकाशित (संपादक मण्डल अध्यक्ष डाॅ. लक्ष्मीमल सिंघवी)

3 इंडिया डिसाइड्स - इलेक्शन्स 1952-1995, डेविड बटलर, अशोक लाहिरी, प्रणव राय (1995), पृष्ठ 72

4 वही, पृष्ठ 96

5 वही, पृष्ठ 68